

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज् अदालत उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

मुन्नी कुंवर

माधोसिंह

सम प्रकरण :- राजस्व वाद

मुसुवा सं. 257/17

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
22.11.17	<p>यह वाद वादी के अधिवक्ता श्री <u>दशपदीक</u> ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 188 के तहत पेश किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण को जरिये समन् तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24/12/17 को पेश हो।</p>	
26.12.17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिनियम डि. 24.12.17 का अवकाश होने के कारण पीतामीन अधिकारी की धारणा में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समाप्त दिनांक 21.3.18 को प्रस्तुत करें।</p>	
6.2.18	<p>वकील वादी ने वादीनी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर विवेकन किया कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है इसलिए वादी वाद नहीं चलाना चाहते हैं वद को जर्दिन विद्रोह स्वाकिक किया जावे वकील वादी के द्वारा उपस्थित और वादीनी मुन्नीकुंवर व विक्रम सिंह को पहचान वकील ओमप्रकाश नेडी पत्रावली व वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र</p>	<p>2.12.17 मुन्नी कुंवर</p> <p>माधोसिंह पक्षकार</p> <p>को.पी.गो.स.</p>

का अवलोकन किया गया/वापि-
गण की इस्तुआ पर वापिगण
का पाद जादिये विज्ञान स्वादिज
किया जाता है/ फ्रावली नम्बर
से कम होकर दफतर हासिल हो